2/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.
वाद [illegible] विरुद्ध प्रतिवादीगण [illegible]
के [illegible]
किया गया है। पत्रावली फैसल हेतु
[illegible] हो। निर्णय पृथक से लिखकर
सुनाकर [illegible] खारिज किया गया। पत्रावली
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 83 / 2022

पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 16–09–2022

श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. रमेश
2. गोविन्द

} पि0 हरिशंकर जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

3. गोरव
4. सोरव

} पि0 स्व. मुकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी मुकेश जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालासोट जिला दौसा

5. सुमन बेवा मुकेश जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
6. शान्ति देवी बेवा हरिशंकर
7. पदमा पुत्री हरिशंकर

} जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. घनश्याम पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट

(प्रतिवादीगण)

वाद तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राज0का0 अधिनियम)

निर्णय

दिनांक : 09/3/24

उपस्थित :– वादी की ओर से श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट

पत्रावली पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 2704 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 2707 रकबा 02 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं0 2709 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 4541/2703 रकबा 19 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जो पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। खातेदार हरिशंकर का देहान्त दिनांक 25–08–2022 को हो गया है। जो उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 का खातेदार दर्ज रिकार्ड था तथा शेष

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (दौसा) राज0

हिस्सा 1/2 का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है। वादीगण मृतक हरिशंकर के कानूनी उत्तराधिकारी होने से उनका वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। जमाबन्दी की नकल सम्वत 2072–2075 संलग्न वाद पत्र है। उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त भूमि को आगे वाद पत्र में आराजी वादग्रस्त से सम्बोधित किया जा रहा है। उक्त आराजी भूमि राजस्व अभिलेख में अविभाजित कृषि भूमि है। जिसका विधिवत प्रकार से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है। आराजी वादग्रस्त कानूनन अविभाजित है। परन्तु पक्षकारान ने मनबंट से आराजी वादग्रस्त का मौके पर विभाजन कर रखा है तदानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा तदानुसार लगान सरकारी अदा कर रहे है। पूर्व में आराजी वादग्रस्त के बाबत कोई विवाद नही था परन्तु अब प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि आराजी वादग्रस्त को बिना कूननी विभाजन करवाए विक्रय करने पर आमादा है। जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण के पूर्वज हरिंशंकर द्वारा मनबंट हुए विभाजन के आधार पर अपने हिस्से मे आई भूमि में लाखो रूपये की लागत लगाकर उक्त भूमि को समतल व उपजाउ भी बनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में खोंट आ जाने के कारण वह आराजीयात का पुनः विभाजन कर वादीगण की भूमि को हड़प कर अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार हांसिल नही है। दिनांक 05–09–2022 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ 5–7 दीगर व्यक्तियो को लेकर आराजी वादग्रस्त पर आ गये इस पर वादीगण ने प्रतिरोध करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को धमकी दी कि हम इस जमीन को दीगर लठैत किस्म के अजनबी लोगो को बेचान करके रहेगें तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से की भूमि में काश्त नही करने देगे। प्रतिवादी संख्या 1 की इस ही बेजा धमकी से विनाय दावा विनाय मुखास्मत पैदा होकर वादीगण को अपने हकूक की रक्षार्थ यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिमी आया। वादीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह आराजी वादग्रस्त का कानूनी विभाजन जो कि पक्षकारान ने मौके पर कर रखा है के अनुसार करवाये तथा माल नक्शा ट्रेस में इन्द्राजात करवाये। वादीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद करवाये कि वे आराजी वादग्रस्त का बिना कानूनी विभाजन हुए

उपखण्ड अधिकारी

विकय, रहन, हस्तान्तरण नही करे तथा आराजी वादग्रस्त पर वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी पैदा करने से स्वयं व अपने परिवारजन सहित प्रतिबंधित रहे तथा प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट ने जवाब दावा मय वकालतनामा पेश किया। बाद सुनवाई पत्रावली पर वकील प्रतिवादीगण ने उक्त वाद पत्र को मौके पर काबिज अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमति प्रदान की तथा पत्रावली वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने के कारण पत्रावली वास्ते अंतिम बहस पर नियत की गई।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/2, 1/2 नियत होने के कारण विभाजन किया जावे। तदुपरान्त प्रकरण मे दिनांक 31–07–2023 को दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार लालसोट द्वारा मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी कुर्रेजात 2–2 प्रतियो मे न्यायालय मे प्रस्तुत किये है। जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने प्रकरण में बहस अंतिम वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन किया जिससे वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से नियमानुसार डिक्री किया जाता है :–

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	घनश्याम पुत्र मूलचन्द कौम माली सा. दहे खातेदार	4541/2703/3 2704/2 2707/2 2709/2	0.08 0.10 1.02 0.19		
	योग किता	4	2.19 बीघा		

2.	रमेश, गोविन्द पि0 हरिशंकर, पदमा पुत्री हरिशंकर, शान्ति देवी पत्नी हरिशंकर, गोरव, सोरव पि0 मुकेश नाबालिग संरक्षिका माता सुमन, सुमन पत्नी मुकेश कौम माली सा. देह खातेदार	4541/2703/2 2704/1 2707/3 2709/3	0.08 0.11 1.02 0.18		
	योग	4	2.19 बीघा		
3	शामलाती रास्ता उपयोग हेतू	4541/2703/1 2707/1 2709/1	0.03 0.02 0.03		
	योग	3	0.08		

उक्तानुसार तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक अन्तिम डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात नक्शा पृथक– पृथक लगान का निर्धारण करें। तहसीलदार लालसोट को कुर्रेजात की एक प्रति मय नक्शा ट्रेस इस निर्णय के साथ भिजवायी जावे। प्रकरण मे डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 31/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट